

Imp

3068

MM 11/29-11-19

4:30 PM

सर्वोच्च प्राथमिकता

Ce(cest)

CD(DD.Dur)

PA/15/11/19

29-11-19

अजाज अहमद
मुख्य अभियंता (सु0)

20/11/19

पत्रांक-132/वि0 प्रा0/(रा0स0वि0)/2019

दिनांक - 21 नवम्बर 2019


SSO (Est)

सेवा में,

प्रमुख अभियंता लोड निर्माण विभाग
देहरादून

SA0/A.0(C)क, एका
द्वारा, ना 3)

21/11/19



EE-1/SSO-(नि0-II)

20/11/19
(SSO)

3465

विषय-राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी आवास में अध्यासित कार्मिकों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के समय राज्य सम्पत्ति विभाग को सूचित करने एवं अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है, कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय कालोनियों में रह रहे आपके विभाग के कार्मिकों का मुख्यालय देहरादून से अन्यत्र स्थानान्तरण होने पर अथवा अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के उपरान्त आपके विभाग द्वारा, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचित नहीं किया जाता है, जिस कारण सम्बंधित द्वारा शासकीय आवास रिक्त नहीं करते हुए नियम विरुद्ध अवैध अध्यासन बनाये रखा जाता है, जिससे राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन के राजकोष को हानि हो रही है, एवं अन्य स्थानों से स्थानांतरित होकर देहरादून मुख्यालय में आये कार्मिकों को आवासीय सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है।

उक्त की महता के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि, राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासों में अध्यासित अपने विभागीय कार्मिकों के मुख्यालय देहरादून से अन्यत्र स्थानान्तरण की स्थिति में राज्य सम्पत्ति विभाग को सूचना प्रेषित करने के अतिरिक्त अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले कार्मिकों के पेंशन/ग्रेच्युटी व अन्य देयकों के भुगतान से पूर्व प्राथमिकता के आधार पर राज्य सम्पत्ति विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें।

Ujendra
21/11/19

21/11/19

(ऋचा सिंह)

विहित प्राधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

3289
05-12-19



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लोकनिर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-Mail-eicpwwd@nic.in

पृष्ठांकन पत्रसंख्या-3289 /01व्यक-सा0/2019

दिनांक- 06 /12/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रसंख्या-132/वि0प्र0/(रा0स0वि0)/2009 दिनांक-21.11.2019 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रकरण अपने स्तर से प्रचारित करते हुये शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करने के फलस्वरूप अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

01. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
02. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
03. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रकरण लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
04. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
05. वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन-ख/ग/घ/वर्कचार्ज एवं नियोजन-तृतीय वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
06. गार्ड पत्रवाली हेतु।

IT head
re upload

07.12.19
प्रबल सिंह चौधरी
अधिशासी अभियन्ता

प्रशासनिक अधिकारी
विभागाध्यक्ष कार्यालय,
लो0सि0वि0, देहरादून